कार्यालय कलेक्टर जिला मण्डला एवं पदेन उप सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग

मण्डला दिनांक 9 / 08 / 2021

क्रमांक / भू-अर्जन / 01(अ-82) / 2020-21 / 45

—:: रद्द अधिसूचना ::—

ग्राम ग्वारा में हवाई पटटी के लंबाई बढाने, भवन निर्माण, सुरक्षा के लिये बाउंड्रीबाल, निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मानचित्र अनुसार कलेक्टर महोदय मंडला के निर्देशानुसार संयुक्त दल राजस्व निरीक्षक बम्हनी, हल्का पटवारी एवं उपयंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं । प.ह.नं. 09 सुनेहरा माल में रकवा 2.23 हे. के स्थान पर 3.48 हे. भूमि बढाई जाकर रकवा 5.71 हे. किया गया है, जिसकी अधिसूचना पृथक से जारी है एवं प.ह.नं. 13 ग्वारा में रकवा 1.39 हे. के स्थान पर 0.02 हे. कम कर 1.37 हे. किया गया है। अतः रकवा 0.02 हे. भूमि का अधिसूचना रद्द कर संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करना है।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	प्राधिकृत अधिकारी
मंडला	मंडला	ग्वारा प.ह.नं. 13	0.02	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग(भ / स) संभाग मंडला

1. रद्द की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा रद्द अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट WWW.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट WWW.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
2. भूमि पर नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मंडला या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग(भ / स) संभाग मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(श्रीमति हर्षिका सिंह)
कलेक्टर मण्डला, एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग
मण्डला दिनांक 9 / 08 / 2021

पृ.क्रमांक / भू-अर्जन / 01(अ-82) / 2020-21 / 45A

प्रतिलिपि:-

1. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स भोपाल को म.प्र. राजपत्र भाग-1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, सूचना तथा प्रकाशन विभाग, भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
3. जिला प्रबंधक, ई-गवर्नेस, जिला पंचायत मंडला को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग(भ / स) संभाग मंडला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी(रा0) मंडला को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत / ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(श्रीमति हर्षिका सिंह)
कलेक्टर मण्डला, एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग